मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/।8।।47/ बजट - 1 / 2026 / 396

भोपाल,दिनांक 26 मार्च, 2026

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
राज्य शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

EE(M)
31/3

EE(M)/EE(IT)
Pl. upload on website
AE (M)

विषय:- निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति में शामिल पर्यवेक्षण प्रभार का युक्तियुक्तकरण ।

----

विषयान्तर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्यो के लिए राज्य शासन के निर्माण विभागों अथवा संस्थाओं ( यथा, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास, ग्रामीण विकास विभाग, भवन विकास निगम, सड़क विकास निगम, विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मण्डल, पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन आदि) को निर्माण एजेन्सी के रूप में अनुबंधित किया जाता है।

2- यह देखा गया है कि निर्माण एजेन्सियों द्वारा निर्माण कार्य के प्राक्कलन में पर्यवेक्षण प्रभार पृथक-पृथक दर पर प्रभारित किए जा रहे हैं । निर्माण एजेन्सियों की दरों में पारस्परिक भिन्नतायें होने से असमंजस की स्थिति बनती है ।

3- पर्यवेक्षण प्रभार दरों के युक्तियुक्त किये जाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य शासन के निर्माण विभाग अथवा संस्थाओं द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति में शामिल पर्यवेक्षण प्रभार की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जायें :-

| क्र. | कार्य की लागत | निर्माण एजेन्सी | पर्यवेक्षण दर (तकनीकी स्वीकृति की राशि पर ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 करोड़ से कम | राज्य शासन के विभाग | 0 (शून्य) प्रतिशत |
| | | राज्य शासन की संस्था | 1 (एक) प्रतिशत |
| 2 | 10 करोड़ से अधिक | राज्य शासन के विभाग | 3 (तीन) प्रतिशत |
| | | राज्य शासन की संस्था | 6 (छह ) प्रतिशत |

4- पर्यवेक्षण प्रभार में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्माण पर होने वाला व्यय संस्थाओं का स्थापना व्यय, वास्तुकार व्यय, गुणवत्ता सलाहकार पर व्यय आदि, इस प्रकार के सभी व्यय शामिल होंगे।

5- उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावशील होंगे तथा उन सभी निर्माण कार्यो पर लागू होगा, जिनके कार्यादेश 01-04-2026 या उसके पश्चात् जारी किये जायेंगे। किसी भी निर्माण कार्य की कुल प्रशासकीय स्वीकृति की राशि उपरोक्तानुसार सीमा तक परिवर्तित मानी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Manish Rastogi
Date: 26-03-2026
08:48:21

( मनीष रस्तोगी)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पत्र आवक क्रमांक 651 /फालोअप/प्र.अ./
दिनांक 31-3-2026